



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2758/SEIAA/2021

Date: 7/1/22

प्रति,

1. श्री संकल्प अग्रवाल,
सिविल लाईन, जिला कटनी
(म.प्र.)-483501

2. डॉ. आर.के. पाण्डे,
ई.आई.ए. कॉर्डिनेटर (माईनिंग),
ऐसिरीज इन्वायरोटेक इण्डिया प्रा.लि.,
बी-107, प्रथम तल, सेक्टर-6, नोयडा (उ.प्र.)-201301

विषय :- प्रकरण क्र. 8510/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री संकल्प अग्रवाल, सिविल लाईन, जिला कटनी (म.प्र.)-483501 द्वारा आयरन और खदान, एरिया 4.92 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,56,525 टन प्रतिवर्ष, खसरा 66, 67, ग्राम बिजीया, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

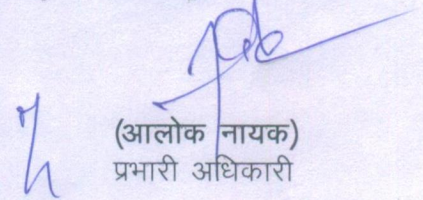
प्रकरण पर 699वी SEIAA बैठक दिनांक 29.12.2021 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 534वी बैठक दिनांक 15.12.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्ष्यपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 534वी बैठक दिनांक 15.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

प्रस्तावित परियोजना के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्र में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सलाहकार/संस्था द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के आकलन हेतु चयनित किये गये मॉनिटरिंग स्टेशन का विवरण मय स्थल के फोटोग्राफ सहित SEIAA के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं मान्यता प्राप्त सलाहकार के द्वारा एक माह की समयावधि में प्रस्तुतीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार एक माह की समयावधि में SEIAA समिति के समक्ष अपना प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करें।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी